न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 40 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 293

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एनडब्लयूएम तहसील अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 06/05/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रकरण(प्र.सं. 49 / 21) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.03.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थी को चक 1 एनडब्लयूएम के मु.नं. 220 / 42 की 3.442है. रकबाराज भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए फसल कुर्क करने के आदेश की पुष्टि करते हुए, भू राजस्व के 50 गुणा शास्ति आरोपित कर रकबा से बेदखल करने के आदेश दिए गये हैं के विरूद्ध यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी की अपील पर बहस सुनी गयी।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ का आलौच्य आदेश दिनांक 05.03.2021 का है जो कि अपीलांट को बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय पारित किया गया हैं। अपीलांट फौजदारी प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रार्थी के परिवार के सदस्य को हल्का पटवारी से उक्त आलौच्य आदेश की जानकारी हुई जिस पर परिवार के सदस्य ने आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त कर इल्म से अन्दर मियाद पेश की गयी हैं। अपीलाधीन भूमि पोंगबांध विस्थापितों के रूप में चुहड़ुराम पुत्र अर्जन को आवंटित हुई थी जो कि जरिए ईकरारनामा अपीलांट की क्रयशुदा भूमि हैं। अपीलांट का सदभावी खरीददार की हैसियत से निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। भूमि के संबंध में मा. उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 18.02.1997 की स्थिति दोनों पक्षकारों को बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया हैं। जो आज भी प्रभाव में हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया ना ही नोटिस जारी किया और अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एकपक्षीय आदेश पा[illegible] आरम्भ से विधि विरूद्ध है जिसे किसी भी समय चुनौती दी जा [illegible] अपील अन्दर मियाद ग्रहण कर स्वीकार करते हुए अपीलाधीन [illegible] किया।
4. प्रत्यर्थी द्वारा अपनी ब[illegible] कथन किया [illegible] कि आलौच्य आदेश विधि अनुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए पारित किया गया हैं। अपीलार्थी रा[illegible] भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज थे जिस का[illegible] धारा 22 राज. उप. अधि[illegible]हत कार्यवाही की गयी हैं। अपील अपीलार्थी अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आदेश दिनांक 26.02.2021 को अपीलार्थी / अप्रार्थी की अनुपस्थिति का अंकन किया गया हैं। दिनांक 05.03.2021 को अपीलार्थी / अप्रार्थी के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2021 को उपस्थित होने हेतु नोटिस क्रमांक 1086 दिनांक 18.02.2021 जारी किया गया, जिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित हैं कि "सायल की पूछताछ करने पर नहीं मिला।" अतः अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी/अपीलार्थी पर नोटिस की तामील नहीं हुई है, आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी/अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर तहसीलदार अनूपगढ़ का अपीलाधीन आलौच्य आदेश दिनांक 05.03.2021 निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:23:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़